RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : शुक्रवार 29 नवंबर 2024 | वर्ष 06 | अंक 230 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी ®
खबरें बे-रोकटोक

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 और मेट्रो 3 भूमिगत स्टेशन के बीच अस्थायी वॉकवे बनाया जाएगा

Page - 4

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

देवेंद्र फडणवीस चुने जा सकते हैं विधायक दल के नेता

श्रीकांत शिंदे डिप्टी सीएम के दावेदार

मुंबईः श्रीकांत एकनाथ शिंदे एक राजनेता और 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं. उनका जन्म 4 फरवरी, 1987 को हुआ. उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की और बाद में नवी मुंबई के डॉ. डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज से ऑथोपेडिक्स में एम.एस. पूरा किया. साल 2014 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता. वह एकनाथ शिंदे के बेटे हैं.

महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? यह सवाल महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार बना हुआ है. लेकिन अब इस सवाल का जवाब आज दिल्ली में होने वाले महायुति के नेताओं के बैठक के बाद साफ हो जाएगा. आज दिल्ली में महायुति की बैठक होने वाली है. इस बैठक में देवेन्द्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शामिल होंगे.

एकनाथ शिंदे के बेटे ने पिता के 'गठबंधन धर्म' की सराहना की

महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने कहा कि उन्हें अपने पिता पर गर्व है कि उन्होंने निजी महत्वाकांक्षा को दरकिनार करके 'गठबंधन धर्म' का पालन करने का उदाहरण पेश किया. यह टिप्पणी शिवसेना सुप्रीमो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसा फैसला लिए जाने पर राज्य के सीएम पद से हटने पर सहमति जताए जाने के बाद आई है.

देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना, आज फैसला आने की उम्मीद

देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. आज महाराष्ट्र के सीएम पद पर फैसला होने की उम्मीद है. शिवसेना के एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजित पवार गुरुवार 28 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा होगी. देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए शीर्ष दावेदार माना जा रहा है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है.

वित्त मंत्री बनेंगे अजित पवार

महाराष्ट्र चुनाव में जीत के बाद दिल्ली में अजीत पवार का पार्टी कार्यालय में स्वागत समारोह होगा. इस मौके पर प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद होंगे. फिर शाम को महायुति के नेता गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे. अजीत पवार गुट बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पूरी तरह से सपोर्ट कर है. अजीत पवार गुट का मानना है कि संख्या बल के आधार पर उनके 10 से 12 मंत्री बनाए जाएंगे. इसके साथ ही अजीत पवार को डिप्टी सीएम और साथ में वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मिलेगा.

कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत हमें चुकानी पड़ी

महाराष्ट्र में हार पर बोली उद्धव ठाकरे की सेना

मुंबई : कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अंबादास दानवे ने कहा कि परिणामों से पहले ही वे सूट और टाई पहनकर तैयार हो रहे थे. उन्होंने कहा कि शिवसेना सेना (यूबीटी) अपनी ताकत उस स्तर तक बनाने की तैयारी करेगी, जहां वह राज्य की सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ सके. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन के नेता ने कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिवसेना (यूबीटी) के एक वरिष्ठ नेता ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और सीट-बंटवारे की बातचीत के दौरान उसके रवैये ने महा विकास अघाड़ी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है. राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है. महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष अंबादास दानवे ने कहा कि महा विकास अघाड़ी को उद्धव ठाकरे को अपने उट चेहरे के रूप में पेश करना चाहिए था. दानवे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की तरह महाराष्ट्र में भी ओवर कॉन्फिडेंस थी, जिसका असर नतीजों पर साफ देखनों को मिला. कांग्रेस के रवैये ने हमें चोट पहुंचाया है.

तीन बांग्लादेशी नागरिकों को पांच साल की सजा

आतंकियों को शरण देने का आरोप

मुंबईः मुंबई की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) कोर्ट ने गुरुवार को तीन बांग्लादेशी नागरिकों को पांच साल की सजा सुनाई है. एनआईए की विशेष अदालत के आदेश के बाद तीनों बांग्लादेशी को जेल भेज दिया गया है. इन पर पुणे में बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) के आतंकियों को शरण देने का आरोप था. इसके साथ ही इस मामले में सजा पाने वालों की संख्या पांच पहुंच गई है। एनआईए कोर्ट से सजा पाने वाले दोषियों में मोहम्मद हबीबुर्रहमान हबीब उर्फ राज जेसुब मंडल, हन्नान अनवर हुसैन खान (उर्फ हन्नान बाबुराली गाजी), और मोहम्मद अजराली सुब्हानल्लाह (उर्फ राजा जेसुब मंडल) शामिल हैं। तीन बांग्लादेशी नागरिकों को आईपीसी और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है. आरोपियों पर 5 साल कैद के साथ 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

बलात्कार की धमकी; दोस्त से 4.64 लाख रुपए ऐंठ लेने का मामला दर्ज

पुणेः पुणे शहर की पुलिस ने एक महिला के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने की धमकी देकर अपने दोस्त से 4.64 लाख रुपए ऐंठ लेने का मामला दर्ज किया है।पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, धनोरी की रहने वाली महिला ने इस साल जनवरी में शिकायतकर्ता से दोस्ती की, जो उसी इलाके में रहता है।

शुरूआत में उनकी दोस्ती अच्छी थी, लेकिन बाद में यह तब परेशान करने वाली हो गई जब उसने उससे पैसे मांगना शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा कि महिला ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी वित्तीय मांगें पूरी नहीं कीं तो वह उस पर बलात्कार का आरोप लगाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, समय के साथ, शिकायतकर्ता ने उसे 4.64 लाख रुपए दे दिए, लेकिन उसकी और पैसे की मांग जारी रही।

बाला साहेब ठाकरे के समय में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई से तय होता था - संजय राउत

मुंबईः महाराष्ट्र में महायुति की बंपर जीत के बाद मुख्यमंत्री तय करने में हो रही देरी पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के 140 विधायक हैं, जो बहुमत के बहुत करीब हैं. फिर भी कई दिन के बाद भी बहुमत वाली पार्टी महाराष्ट्र को अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है. आपस में ऐसा क्या चल रहा है? हम चाहते हैं अगर आपका बहुमत बना है तो मुख्यमंत्री 24 घंटे में ही बन जाना चाहिए था, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता क्यों न हो. मुख्यमंत्री के नाम पर आखिर वो ऐसा क्या विचार कर रहे हैं कि नाम फाइनल नहीं कर पा रहे हैं.

हमें समझ नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित पार्टी के अन्य नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में इतनी मुश्किल क्यों आ रही है? उनकी मुश्किलों के बारे में महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है. ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है.

हमने दिल्ली जाकर कभी नहीं गिड़गिड़ाया

उन्होंने कहा कि ये लोग बाला साहेब ठाकरे का नाम लेते हैं और शिवसेना के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का फैसला दिल्ली से होता है. सच ये है कि बाला साहेब ठाकरे के समय में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई से तय होता था. पहले भी बीजेपी के नेताओं में अटल जी और आडवाणी जी थे, लेकिन मुंबई में ही मुख्यमंत्री तय कर दिया जाता था, इसके लिए हम कभी दिल्ली नहीं गए. उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में जाकर कभी गिड़गिड़ाया नहीं, हमें जो फैसला लेना होता है वो उद्धव ठाकरे जी के निर्देशन में लेते हैं.

उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि हम ईवीएम पर आज सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हम तो 10 साल इसके बारे में पूछते आए हैं. जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने सवाल उठाया था.

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

बीएमसी चुनाव

विधानसभा में बीजेपी के तीन और विधान परिषद में एक उत्तर भारतीय विधान परिषद के सदस्य है। इनमें से कौन महायुति सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है इसका समाज बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैसे 1999 से 2014 तक तीन टर्म की कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने एक साथ कई उत्तर भारतीयों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इनमें जावेद खान, नसीम खान, नवाब मलिक, कृपाशंकर सिंह, बाबा सिद्दीकी जैसे नाम हैं, जिन्हें उस वक्त की कांग्रेस-एनसीपी मंत्रिमंडल में मंत्री पद मिला था। उसी उम्मीद से यह समाज बीजेपी की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा है कि सरकार समाज के साथ कितना न्याय करती है। समाज के लोग यह नहीं भूलते कि शिंदे सरकार में किसी भी उत्तर भारतीय को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था, फिर भी उत्तर भारतीय समाज महायुति के साथ खड़ा रहा। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गोरेगांव विधानसभा से विद्या ठाकुर, बोरीवली सीट से संजय उपाध्याय, वसई विधानसभा से स्नेहा दुबे पंडित और कालीना सीट से अमरजीत सिंह को आरपीआई आठवले कोटे से उम्मीदवारी दी। इनमें अमरजीत को छोड़ विद्या ठाकुर, संजय उपाध्याय और स्नेहा दुबे ने जीत हासिल की है। ये तीनों विधानसभा पहुंच गए है। विधान परिषद में राजहंस सिंह पहले से ही सदस्य है। इस तरह से पार्टी के पास 4 उत्तरभारतीय हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। गोरेगांव की विधायक विद्या ठाकुर तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीती है। सन 2014-19 की फडणवीस सरकार में विद्या ठाकुर राज्यमंत्री थी, लेकिन वे समाज में वे अपनी उपस्थित नहीं दर्ज करा पाई। वसई विधानसभा से स्नेहा दुबे ने ठाकुर परिवार का दबदबा खत्म किया। वे पहली बार चुनाव जीती है। किस्मत के धनी संजय उपाध्याय पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा की सबसे सुरक्षित सीट बोरीवली से चुनाव लड़ाया। वे एक लाख वोट के बड़े अंतर से जीत कर आए। पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ है। वे पहली बार कोई चुनाव जीते है। इससे पहले वे बीएमसी का चुनाव हार गए थे। विधान परिषद के सदस्य राजहंस सिंह को जनप्रतिनिधि के तौर पर लंबा अनुभव है। मुंबई महानगरपालिका में 3 बार नगरसेवक चुने गए। लगातार 8 साल तक मुंबई महानगरपालिका में प्रतिपक्ष नेता रहे, जो कि बीएमसी के इतिहास में आज भी रिकॉर्ड है। सन 2009 में सिंह दिंडोशी विधानसभा में विधायक चुने गए। सन 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में सिंह ने उत्तरभारतीयों को पार्टी से जोड़ने के लिए चौपाल लगाई। चौपाल चलाने का पुरस्कार पार्टी ने उन्हें विधान परिषद में भेजकर दिया। इन चारों सदस्यों में राजहंस सिंह को बतौर जनप्रतिनिधि लंबा अनुभव है।

editor@rokthoklekhaninews.com
+91 99877 75650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

एयर इंडिया की पायलट ने की आत्महत्या!
उकसाने के आरोप में ब्वॉयफ्रेंड गिरफ्तार

मुंबई : एयर इंडिया के पायलट के खुदकुशी करने की खबर है। पायलट की लाश उसके फ्लैट से बरामद की गई है। इस घटना के बाद मुंबई के इलाके में हड़कंप मच गया है। पायलट की उम्र सिर्फ 25 साल थी। पुलिस ने छानबीन करते हुए उसके ब्वॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी में पता चला है कि मामला अंधेरी इलाके का है। मृतका का नाम सृष्टि तुली (25) था, जबकि उसका ब्वॉयफ्रेंड आदित्य पंडित (27) है। आदित्य को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसे 29 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

ब्वॉयफ्रेंड पर परिजनों के गंभीर आरोप

आदित्य दिल्ली का रहने वाला है, जबकि सृष्टि यूपी के गोरखपुर जिले की थी। मृतका के परिजनों ने आदित्य पर कई आरोप लगाए हैं। सृष्टि के रिश्तेदार ने बताया कि आदित्य उसके साथ दुर्व्यवहार करता था और बहस करता था।

एक रिश्तेदार ने तो ये भी कहा कि आदित्य ने पहले उसकी हत्या की और फिर खुदकुशी का रूप दे रहा है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि आरोपी ने सृष्टि को नॉनवेज खाने से रोका था। परिवारवालों ने दोषी को सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरूआती जांच से पता चला है कि उत्पीड़न के कारण वह मानसिक रूप से परेशान थी। उन्होंने बताया कि आदित्य पायलट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन वह पास नहीं हो पाया।

आरोपी मिहिर शाह को रिहा करने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इन्कार

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को रिहा

करने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसने मानव जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की।

वह अपने कृत्य के परिणामों से अवगत था। पूर्व शिवसेना नेता का बेटा 24 वर्षीय शाह हाई-एंड कार चला रहा था। दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। सीसीटीवी फुटेज ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की।

मुंबईकरों को सताने लगी सर्दी
16.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा, 8 साल में सबसे ठंडा नवंबर

मुंबई: सोमवार की रात महानगर का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 16.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। मौसम विभाग के अनुसार, मुंबई में नवंबर महीने में 8 साल बाद सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इससे पहले 11 नवंबर 2016 में पारा लुढ़ककर 16.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 29 नवंबर को तापमान घटकर 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

मुंबईकरों को मिली राहत

मुंबई में शाम होते ही पारा तेजी से लुढ़कने लगता है। रात और भोर में ठंड बढ़ने से मुंबईकरों को काफी राहत भी मिली है। सोमवार की रात मुंबई में अच्छी ठंड पड़ी। क्षेत्रीय मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को मुंबई का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अगले 24 घंटे में न्यूनतम पारा लुढ़ककर 16.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से -3.8 डिग्री सेल्सियस कम था। वहीं अधिकतम तापमान में कोई खास गिरावट नहीं देखने को मिली।

उत्तर भारत से आने वाली हवाओं ने बदल दिया मौसम का मिजाज

मंगलवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले क्षेत्रीय मौसम विभाग की वैज्ञानिक सुषमा नायर ने बताया था कि 29 नवंबर तक न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 16 डिग्री सेल्सियस तक

पहुंच सकता है, लेकिन उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाएं काफी प्रबल होने के कारण सोमवार को ही तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, लेकिन 29 नवंबर को इसमें और 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है यानी इस महीने के अंत तक मुंबईकरों को रात में ठंड का एहसास होगा। काफी वर्षों बाद नवंबर महीने में तापमान में इतनी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार, इस बार उत्तर में जितनी अच्छी बर्फबारी होगी उतनी ही अच्छी ठंड पड़ने की संभावना बनेगी। नवंबर महीने में थोड़ी बर्फबारी में यह हाल है तो आने वाले समय में यदि अच्छी बर्फबारी होती है, तो उत्तर से मुंबई की ओर आने वाली हवाएं महानगर के तापमान में और गिरावट लाएंगी।

पिछले रिकॉर्ड पर एक नजर...

- 19 नवंबर 1950 में सबसे कम 13.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था न्यूनतम तापमान।
- 11 नवंबर 2016 में 16.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था।

फ्लैट देने का वादा कर महिला ने एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की

मुंबई: सरकारी योजना के तहत फ्लैट देने का वादा कर महिला ने एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर ली। महिला ने खुद को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) का वरिष्ठ अधिकारी बता बुजुर्ग महिला और उसके परिवार को झांसे में लिया। आरोपी महिला के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में दादर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि 77 वर्षीय रंजना वराडकर ने दादर पुलिस थाने में शिकायत दी। वराडकर ने बताया कि आरोपी भक्ति अक्षय खंडारकर ने उसे, उसकी बहन और भाभी को धोखा देने के लिए खुद को म्हाडा का वरिष्ठ अधिकारी बताया।

तीन साल पहले एक अस्पताल में रिश्तेदार ने कराई मुलाकात

बतौर वराडकर, एक रिश्तेदार ने तीन साल पहले एक अस्पताल में आरोपी को उससे मिलवाया था। खंडारकर ने कथित तौर पर दावा किया कि उसके म्हाडा के शीर्ष अधिकारियों के साथ अच्छे संपर्क हैं और वह किसी योजना के माध्यम से अपने नाम पर फ्लैट आवंटित करवा सकती है।

आरोपी ने शिकायतकर्ता और रिश्तेदारों को अपने घर बुलाया

बाद में, खंडारकर ने उसे, उसकी बहन और भाभी को प्रभादेवी में अपने घर पर आमंत्रित किया। इस दौरान उसने कथित तौर पर दावा किया कि वह म्हाडा लॉटरी के माध्यम से 20 लाख रुपये में गोरेगांव में 2बीएचके फ्लैट सुरक्षित कर सकती है।

दो साल बाद भी नहीं मिला फ्लैट

अधिकारी ने एफआईआर का हवाला देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी को एक फ्लैट के लिए 20 रुपये का भुगतान कर दिया। इसके साथ ही दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, दो साल बाद भी वराडकर को न तो फ्लैट मिला और न ही आरोपी ने उनके पैसे लौटाए।

शिकायतकर्ता की भाभी से और बहन से वसूले 80 लाख

इस बीच, खंडारकर ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता वराडकर की भाभी से 60 लाख रुपये और उसकी बहन से 20 लाख रुपये वसूले। कथित तौर पर खंडाकर ने वराडकर और उसके रिश्तेदारों से कुल एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

फर्जी वॉट्सएप प्रोफाइल के जरिये मांगे थे पैसे शिकायत मिलने से कारोबारी के 85 लाख रुपए बचे

मुंबई: क्राइम ब्रांच की पश्चिम साइबर सेल की त्वरित कार्रवाई से साइबर ठगों द्वारा की गई 85 लाख रुपए की जालसाजी की रकम वापस लाने में सफलता मिली है। साइबर ठगों ने फर्जी वॉट्सएप प्रोफाइल के जरिए यह पैसे दक्षिण मुंबई के रहने वाले एक कारोबारी के कंपनी कर्मचारियों से ठगे थे। लेकिन जैसे ही व्यापारी को इसकी जानकारी हुई उन्होंने गोल्डन आवर में इसकी जानकारी साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके दी। जिसके बाद साइबर सेल की टीम ने बिजनेसमैन के खाते से पैसे साइबर ठगों को ट्रांसफर होने से पहले ही बैंक से संपर्क करके उसे फ्रीज करवा दिया।

साइबर सेल के अधिकारियों के मुताबिक यह मामला 26 नवंबर को सामने आया था। इसमें साइबर ठगों ने दक्षिण मुंबई के एक कारोबारी का फर्जी वॉट्सएप प्रोफाइल तैयार किया। इसके बाद उसकी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को उसी प्रोफाइल से संदेश भेजकरएक बड़ी बिजनेस डील के लिए 85 लाख रुपए भेजने का कहा। साइबर ठगों को अपना बॉस समझकर कंपनी के कर्मचारी ने तुरंत 85 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर करने के बाद जब कर्मचारी ने उस नंबर पर कॉल किया तो वह नंबर बंद मिला। इसके बाद उसने इसकी जानकारी कंपनी में मौजूद अन्य वरिष्ठों को दी। वरिष्ठों ने कंपनी के मालिक से जब इसकी जांच की तो पता चला कि उसने कोई पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहा था। ठगी का एहसास होने के बाद व्यापारी ने तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को कॉल करके इसकी जानकारी दी।

चार साल की बच्ची के इलाज के लिए चार करोड़ रुपये की क्राउड फंडिंग; माटुंगा पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

मुंबई: चार साल की एक बच्ची के हिंदुजा अस्पताल में कथित इलाज के नाम पर क्राउड फंडिंग से साढ़े चार करोड़ रुपये जमा करने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ है। घटना माटुंगा की है। आरोप है कि गिरोह के लोगों ने फिल्म अभिनेत्री सना खान का नाम और उनके सोशल मीडिया अकाउंट का दुरुपयोग कर क्राउड फंडिंग जुटाई थी। इस मामले में माटुंगा पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता आरिफ शेख की शिकायत पर तीन आरोपियों निकहत खान, नौफिल काजी और पीयूष जैन के खिलाफ केस दर्ज किया है।

सभी आरोपी नागपाड़ा के रहने वाले हैं। सीनियर पीआई राजेंद्र पवार ने बताया कि तीनों आरोपियों से पुलिस जल्दी ही पूछताछ कर इनका बयान दर्ज करने वाली है। इस मामले में अभी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

ऐप बनाकर जुटाई जा रही थी रकम

एफआईआर के मुताबिक, पीयूष जैन एक ऐप के जरिए चार साल की बच्ची इनारा काजी को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक घातक बीमारी होने और उसका हिंदुजा अस्पताल में इलाज चलने का दावा करता था। पीयूष का कहना था कि इनारा के इलाज पर 17 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इनारा के परिजन इस भारी-भरकम रकम को जुटा नहीं पाते। इसलिए पीयूष जैन ने एक ऐप के जरिए लोगों से मदद करने की अपील की। जांच में पता चला कि इस ऐप का नाम इम्पैक्ट गुरु है, जिसे पीयूष ने बनाया है। उसने निकखत और नौफिल की मदद से इनारा काजी के बारे में फर्जी जानकारी जुटाई और इसे वायरल कर लोगों से पैसे डोनेट करने की अपील की। डोनर को विश्वास दिलाने के लिए 11 जनवरी को अभिनेत्री सना खान के नाम से इंस्टाग्राम पर एक विडियो भी अपलोड कर दिया, जिसमें सना खान लड़की के पिता को आर्थिक मदद करने की अपील करती हुई दिखाई देती हैं।

विडियो जांच में निकला फर्जी

माहिम में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आरिफ अहमद शेख ने कहा कि उन्हें यह विडियो सोशल मीडिया पर दिखाई दिया। उन्हें यह संदिग्ध लगा। इसलिए वह हिंदुजा अस्पताल गए और उन्होंने इनारा काजी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। वहां जाने के बाद पता चला कि उक्त अस्पताल में इनारा काजी नामक कोई लड़की नहीं है। यहां तक कि इस नाम की किसी लड़की को अस्पताल वालों ने हाल-फिलहाल में भर्ती भी नहीं किया था।

मुंबई में बंदरों के हमले में दो लोग घायल

मुंबई: छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर एक रेलवे कर्मचारी और महालक्ष्मी इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी का एक बच्चा बुधवार को बंदरों के हमले में घायल हो गए, जिसके बाद वन्यजीव बचाव दल ने जानवरों को पकड़ने का प्रयास किया। एक वन अधिकारी ने बताया कि दोनों घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की रिपोर्ट के बाद, वन कर्मियों और वन्यजीव कल्याण के लिए रेसक्विंक एसोसिएशन के बचाव दल के सदस्यों ने दोनों क्षेत्रों का दौरा किया और बंदरों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

वकील होने का दावा करने वाली महिला अपने ही बुने जाल में फंसी

मुंबई: वकील होने का दावा करने वाली एक महिला अपने ही बुने जाल में फंस गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित महिला वकील की मालाड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई धोखाधड़ी और मारपीट की शिकायत में महिला आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही अदालत ने पुलिस को शिकातककर्ता वकील के एलएलबी (बैचलर ऑफ लॉ) डिग्री की जांच करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आर.एन. लड्डा की एकलपीठ के समक्ष जाहिरा हसमत मियां की ओर से वकील आशीष दुबे की दायर अग्रिम याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील आशीष दुबे ने दलील दी कि मालाड पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी और मारपीट का मामला दर्ज किया है। उस पर आरोप लगाया गया है कि एक महिला वकील ने एलएलएम (मास्टर ऑफ लॉ) में एडमीशन कराने के लिए याचिकाकर्ता को 70 हजार रुपए दिया था। जब वह उससे (याचिकाकर्ता) अपने एडमीशन के विषय में पूछने उसके मालाड स्थित स्पा सैलून में गई, तो उसने उसके (शिकायतकर्ता) साथ मारपीट की।

यह भी पढ़े -बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा - राष्ट्रपति पदक विजेता पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी अवैध याचिकाकर्ता ने कथित महिला वकील से एडमीशन कराने का पैसा लिया था, लेकिन जब वह उसका एडमीशन कराने गई, तो उसे पता चला कि महिला वकील का एलएलबी का डिग्री ही फर्जी है। जब उसने उसे इस विषय में बताया, तो वह उसके साथ गाली-गलौज कर उसके स्पा सैलून में आकर हंगामा करने लगी। उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ मालाड पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और मारपीट की शिकायत दर्ज करा दी। याचिकाकर्ता के वकील दुबे ने अदालत से कहा कि जब शिकायतकर्ता की एलएलबी की डिग्री ही फर्जी है, तो उसे एलएलएम में कैसे एडमिशन दिलाया जा सकता है? इसे देखते हुए याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील को स्वीकार

बॉम्बे हाई कोर्ट की मुंबई के डिवेलपर पर गिरी गाज

10 साल में नहीं किया रीडिवेलपमेंट

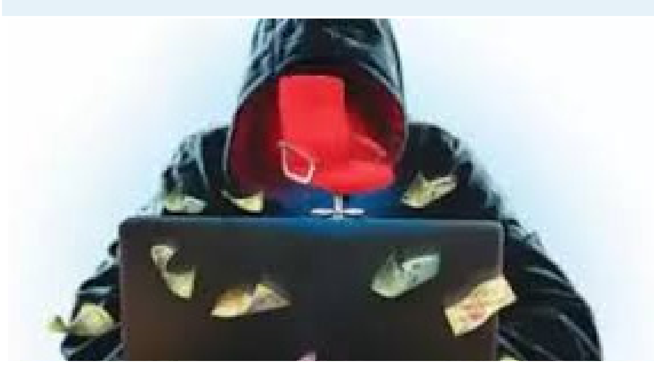

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दस साल तक झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के तहत रीडिवेलपमेंट के संबंध में ठोस कदम न उठाने वाले डिवेलपर को हटाने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मामला कांदिवली पश्चिम स्थित स्वपनपूर्ति एसआरए को-ऑपरेटिव सोसायटी से जुड़ा है। साल 2011 में सोसायटी के रीडिवेलपमेंट के लिए डिवेलपर को नियुक्त किया था, मगर एक दशक तक डिवेलपर ने निर्माण कार्य को लेकर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए थे। इसे देखते हुए एसआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सोसायटी को

पसंद का नया डिवेलपर नियुक्ति करने की छूट दी थी। आदेश में स्पष्ट किया गया था कि यदि सोसायटी नए डिवेलपर के चयन का निर्णय करती है, तो नए डिवेलपर को पुराने डिवेलपर द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करनी होगी।

'याचिका में आदेश की वैधता पर उठाए सवाल'

सोसायटी को लेकर 1 फरवरी, 2021 के एसआरए सीईओ और एजीआरसी के 25 जुलाई, 2022 के आदेश को पुराने डिवेलपर ने कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में दोनों आदेश की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। याचिका में दावा किया गया था कि उक्त आदेश स्लम ऐक्ट की धारा 13(2) के अनुरूप नहीं है।

लश्कर-ए-तैयबा - एलईटी से जुड़े वांछित आतंकवादी को रवांडा से भारत भेज दिया गया

मुंबई: आधिकारिक बयान में कहा गया कि लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े एक वांछित आतंकवादी को रवांडा से भारत भेज दिया गया है, जिसके खिलाफ बेंगलुरु में आतंकवाद का मामला दर्ज है। उसकी पहचान सलमान रहमान खान के रूप में हुई है, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा वांछित है, जिसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। खान की वापसी का समन्वय एनआईए, सीबीआई और इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, किगाली (रवांडा की राजधानी) मध्य पूर्वी अफ्रीका द्वारा किया गया। एनआईए ने पिछले साल उसके खिलाफ आपराधिक साजिश, खूंखार आतंकी संगठन (एलईटी) का सदस्य होने और उसका समर्थन करने के आरोप में मामला दर्ज किया था, साथ ही उस पर आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित अपराध भी दर्ज किए थे। खान के खिलाफ बेंगलुरु शहर के हेब्बल पुलिस स्टेशन में कर्नाटक की राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों की आपूर्ति करने के अपराध में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। सीबीआई के अनुरोध के बाद, एनआईए ने 2 अगस्त को खान के खिलाफ इंटरपोल आरसीएन जारी करवाया था, जिसे उसे ट्रैक करने के लिए दुनिया भर की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा गया था। आखिरकार उसे रवांडा में पाया गया और इंटरपोल किगाली अधिकारियों के सहयोग से, उसे आज सुबह एनआईए की एक टीम द्वारा कानून का सामना करने के लिए भारत वापस लाया गया। पिछले पखवाड़े, सीबीआई ने इंटरपोल के साथ समन्वय करके मुंबई पुलिस द्वारा वांछित अपराधी बरकत अली खान को जियो-ट्रैक किया था और उसे सऊदी अरब से (14 नवंबर को) वापस लाया था। वह फरार था, उस पर दंगा करने और विस्फोटकों की आपूर्ति करने के आरोप थे और दिसंबर 2022 में उसके खिलाफ इंटरपोल आरसीएन जारी किया गया था।

इससे पहले, 11 नवंबर को, सीबीआई ने सऊदी अरब से एक रेहान अरबिकलारिक्कल को निर्वासित करने में मदद की थी - जिस पर दिसंबर 2023 से आरसीएन है, एक नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में और उसके खिलाफ पट्टांबी (केरल) के मन्नारकाड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। 2021 से, भारतीय एजेंसियों ने अपने वैश्विक समकक्षों के साथ समन्वय में लगभग 100 वांछित फरार अपराधियों को वापस लाया है, जिनमें से 26 को अकेले 2024 में वापस लाया गया है।

डकैती के आरोपी को 17 साल बाद महाराष्ट्र से पकड़ा गया

मुंबई: उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने ठाणे पुलिस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में डकैती और लूट के आरोपी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो 2007 से फरार था। यहां एंटी एक्सटॉर्शन सेल के अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान सतीश बाबूलाल गुप्ता उर्फ सतीश तिवारी के रूप में हुई है, जिसके महाराष्ट्र के ठाणे शहर में वागले एस्टेट इलाके में होने का पता चला और सोमवार शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि गुप्ता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अलमापुर गांव का निवासी है और उत्तरी राज्य में डकैती और लूट के दो मामलों में वांछित था। अधिकारी ने बताया कि ठाणे क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल की मदद से उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाकर आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई।

लिवइन रिलेशनशिप में रेप की शिकायत करने पर लगा 25 हजार का जुर्माना

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति पर दुराचार की शिकायत करने वाली महिला पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ चारकोप पुलिस स्टेशन में दर्ज दुराचार के मामले को रद्द कर दिया है। व्यक्ति के साथ लिवइन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला ने अदालत में परिजनों के दबाव में व्यक्ति के खिलाफ दुराचार की शिकायत दर्ज कराने की बात कही। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति डॉ.नीला गोखले की पीठ के समक्ष निलेश सिंह की ओर से वकील आशीष दुबे और वकील राहुल त्रिपाठी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ चारकोप पुलिस स्टेशन में दर्ज दुराचार के मामले रद्द कर दी जाए। पीड़िता याचिकाकर्ता के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी। उसने अपने परिजनों के दबाव में याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता ने पीड़िता के साथ शादी कर ली है। पीड़िता ने अदालत में हलफनामा देकर याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए अपनी सहमती जताई और अपने परिवार के दबाव में आ कर व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पीठ ने पीड़िता को फटकार लगाते हुए उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। यह भी पढ़े -मालाड की कथित महिला वकील अपने ही बुने जाल में फंसी, एलएलबी डिग्री फर्जी होने का दावा क्या है पूरा मामला याचिकाकर्ता रियल एस्टेट ब्रोकर है और उसके ऑफिस में शिकायतकर्ता महिला रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। उनका आपस में प्रेम संबंध हो गया। महिला याचिकाकर्ता के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। कुछ समय के बाद उनका आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। महिला ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दुराचार की एफआईआर दर्ज करा दी। इस बीच वे फिर एक साथ आए और उन्होंने शादी कर ली।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 और मेट्रो 3 भूमिगत स्टेशन के बीच अस्थायी वॉकवे बनाया जाएगा

मुंबई: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 और टर्मिनल के बाहर स्थित मेट्रो 3 भूमिगत स्टेशन के बीच पहुँच को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही एक अस्थायी वॉकवे बनाया जाएगा। वर्तमान में, यात्रियों को टर्मिनल 2 तक पहुँचने के लिए मेट्रो स्टेशन से 15 मिनट का चक्कर लगाना पड़ता है क्योंकि मेट्रो 7 ए स्टेशन का निर्माण चल रहा है, जो हवाई अड्डे को गुंडावली से जोड़ेगा। मंगलवार को, शहरी विकास विभाग, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, महा मुंबई मेट्रो संचालन निगम और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड सहित विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों ने वॉकवे की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए टर्मिनल 2 मेट्रो स्टेशन का दौरा किया। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा, ''शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव असीम कुमार गुप्ता ने सभी संबंधित एजेंसियों को मेट्रो 3 स्टेशन और टर्मिनल 2 के बीच निर्बाध संपर्क के लिए एक अस्थायी वॉकवे बनाने का निर्देश दिया है।''

एमएमआरसी ने एमएमआरडीए से मेट्रो 7ए भूमिगत स्टेशन के ऊपर एक अस्थायी स्टील ब्रिज-कम-वॉकवे बनाने का अनुरोध किया है। यह संरचना मेट्रो 3 स्टेशन को टी-2 से जोड़ेगी, जिससे यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी। एमएमआरसी और एमएमआरडीए की फील्ड टीमों के बीच एक संयुक्त प्रयास जल्द ही इस योजना को लागू करना शुरू करेगा। अस्थायी वॉकवे दिसंबर 2025 तक समाधान के रूप में काम करेगा, जब मेट्रो 7ए स्टेशन का निर्माण पूरा हो जाएगा। उस समय, हवाईअड्डा प्राधिकरण दो भूमिगत स्टेशनों के ऊपर एक स्थायी फोरकोर्ट स्थापित करेंगे, जो टी-2 को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस बीच यात्रियों की चिंताओं को दूर करने के लिए 15 अक्टूबर को मेट्रो 3 स्टेशन और टी-2 के बीच फीडर बस सेवा शुरू की गई थी। हालांकि, इसका सीमित उपयोग देखा गया है, क्योंकि कई यात्री बस का इंतजार नहीं करना चाहते

ईडी ने करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले में बड़ी कार्रवाई की

मुंबई: ईडी ने करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। प्रयाग समूह के प्रमुख व सीएमडी वासुदेव बागची को कोलकाता व उसके बेटे अभिक को मुंबई से गिरफ्तार किया है। दरअसल, मंगलवार को घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता व मुंबई के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। घंटों चले अभियान के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई।

प्रयाग समूह से जुड़े लोगों और आवासीय परिसरों पर छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस बरामद किये गये हैं। सूत्रों के अनुसार, जब्त दस्तावेजों से जनता को आकर्षक रिटर्न का वादा करके करोड़ों रुपये की ठगी को लेकर अहम तथ्य मिलने की बात सामने आयी है। यह घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी निवेश योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर संपत्ति जुटाने से जुड़ा हुआ है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com